29/1/24 पत्रावली अग्रेतर प्रेषित हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। मुख्य गवाह निरीक्षण हो चुका है। इसलिए उभय अवगत प्रकरण में अब कोई अनुरोध शेष नहीं रहा है। विद्वान एडवोकेट श्री जगदीश नारायण सिंह के कथनानुसार दिनांक 21/11/22 निरस्त की जाकर आवेदक खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय सुनाए होकर दाखिल दफ्तर हो।

डायरेक्टर गुरुग्राम